



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1248]
No. 1248]नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 15, 2007/आश्विन 23, 1929
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 15, 2007/ASVINA 23, 1929

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2007

का.आ. 1754(अ).—केन्द्रीय सरकार, विकास परिषद् (प्रक्रिया) नियम, 1952 के नियम 2, 3, 4 और 5 के साथ पठित उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) के समय-समय पर यथा-संशोधित आदेश का.आ. 1189, तारीख 8 अक्टूबर, 2003 के अधीन नियुक्त किए गए सदस्यों, जिनकी पदावधि समाप्त हो गई है, के स्थान पर निम्नलिखित व्यक्तियों को सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए लुगदी, कागज और संबद्ध उद्योगों की विकास परिषद् का सदस्य नियुक्त करती है :—

1. श्री गौतम थापर, —अध्यक्ष
उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
बल्लारपुर इण्डस्ट्री लि., थापर हाउस,
124, जनपथ, नई दिल्ली ।
2. संयुक्त सचिव, —सदस्य
(कागज प्रभाग के प्रभारी),
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग,
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
उद्योग भवन, नई दिल्ली ।
3. अध्यक्ष, भारतीय कागज विनिर्माता संघ, —सदस्य
पी.एच.डी. हाउस, चौथा तल,
अपोजिट एशियन गेम्स विलेज,
नई दिल्ली-110016

4. अध्यक्ष, इंडियन एग्री एंड रिसाइकिल्ड —सदस्य
पेपर मिल्स एसोसिएशन, 404, विक्रान्त
टावर, 4, राजेन्द्र प्लेस,
नई दिल्ली-110009
 5. अध्यक्ष, भारतीय पैकेजिंग संस्थान —सदस्य
ई-2, एम.आई.डी.सी. एरिया,
पोस्ट बॉक्स नं.-9432,
अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400093
 6. निदेशक, —सदस्य-सचिव
केन्द्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान
संस्थान, पोस्ट बॉक्स नं.-172, हिम्मत नगर,
पेपर मिल रोड,
सहारनपुर (उत्तर प्रदेश)
2. विकास परिषद् (प्रक्रिया) नियम, 1952 के नियम 2 के खंड (ग) के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा निदेशक, केन्द्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर (उ. प्र.) को उक्त विकास परिषद् के सदस्य सचिव के कार्यों का निष्पादन करने के लिए नियुक्त करती है ।

[फा. सं. 8(7)/2005-कागज]

एन. एन. प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

ORDER

New Delhi, the 15th October, 2007

S.O. 1754(E).—In exercise of powers conferred by Section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), read with Rules 2, 3, 4 and 5 of the Development Council (Procedural) Rules, 1952, the Central

Government hereby appoints, for a period of two years from the date of publication of this Order in the Official Gazette, the following persons to be Members of the Development Council for Pulp, paper and Allied Industries, in place of members appointed under the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) No. S.O. 1189 (E) dated 8th October, 2003, as amended from time to time, whose tenure of office has expired :—

1. Shri Gautam Thapar, —Chairman
Vice Chairman & Managing Director,
Ballarpur Industries Ltd.,
Thapar House,
124, Janpath, New Delhi.
2. Joint Secretary —Member
(Incharge of Paper Division)
Department of Industrial
Policy and Promotion,
Ministry of Commerce and Industry,
Udyog Bhavan, New Delhi.
3. President, Indian Paper —Member
Manufacturers Association,
PHD House, 4th Floor,
Opposite Asian Games Village,
New Delhi-110 016

4. President, Indian Agro & —Member
Recycled Paper Mills Association,
404, Vikrant Tower,
4, Rajendra Palace,
New Delhi-110 009
5. Chairman, Indian Institute of —Member
Packaging,
E-2, MIDC Area,
Post Box No. 9432,
Andheri (East), Mumbai-400093
6. Director, —Member-Secy.
Central Pulp and Paper
Research Institute,
P.B. No. 174, Himmat Nagar,
Paper Mill Road,
Saharanpur (Uttar Pradesh).

2. In pursuance of clause (c) of rule 2 of the Development Council (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby appoints the Director, Central Pulp and Paper Research Institute, Saharanpur (U.P.) to carry on the functions of the Member-Secretary to the said Development Council.

[F.No. 8((7)/2005-Paper]

N. N. PRASAD, Jt. Secy